मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–154/2024

1. जसकरण सिंह पुत्र बलवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़किया 36 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. खुशनदीप सिंह पुत्र जसकरण सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़किया 36 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादीगण

–:बनाम:–

1. बलवीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह पुत्र ध्यान सिंह जाति जटसिख साकिन जोड़किया 36 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. लखविन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. जगमीत कौर पुत्री जसकरण सिंह पत्नी रघुवीर सिंह जाति जटसिख साकिन सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 23-08-24

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर प्रतिवादीगण की ओर से श्री ठाकर राम अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को मुझ अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार डिकी किया जाता है–

वादी प्रथम पक्ष सं. 1 को प्राप्त भूमिः–(जसकरण सिंह)

तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 255/236 के प.नं. 41/257 (57) किला नं. 1 ता 3, 4/2/0.139 की 0.898 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादी प्रथम पक्ष सं. 2 को प्राप्त भूमिः –(खुशनदीप सिंह)

तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 255/236 के प.नं. 41/257 (57) किला नं. 7/2/0.139, 8 ता 13, 14/1/0.139 की 1.796 हैक. नहरी खातेदार काश्तकार घोषित किया है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.30 10:48:00 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 23-08-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा